न्यायालय-उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार

विविध वाद संख्या- 03/2020

कोमल मिंज एवं अन्य

बनाम्

राज्य एवं अन्य

आदेश

04.03.22 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में दायर WP(C) No.- 1444/2011 कोमल मिंज एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 24.01.2020 को पारित आदेश के आलोक में वाद प्रारम्भ किया गया। उभय पक्षों को अपने दावे के समर्थन में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विभिन्न तिथियों में नोटिस निर्गत करने के बावजूद प्रथम पक्ष शुरूआती के कुछेक तिथियों में उपस्थित हुए, जबकि बाद में वे लगातार अनुपस्थित रहें है। प्रथम पक्ष को उपस्थित होने के लिए समय-समय पर नोटिस निर्गत किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। नोटिस के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण अभिलेख में संलग्न दस्तावेज के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रथम पक्ष का दावा है कि मौजा बाजकुम के गत सर्वे खाता संख्या-56 प्लॉट संख्या-16/B रकबा-2.50 ए0 भूमि का अंचल अधिकारी, लातेहार पलामू द्वारा दिनांक 24.05.1973 को मेरे पिता सोहन मिंज के पक्ष में लगान निर्धारण कर बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किया गया है तथा राज्य सरकार को लगान का भुगतान किया गया है। अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा मेरे पिता के पक्ष में लगान रसीद निर्गत किया गया है। वर्ष 1994 में मेरे पिता के नाम से हाल सर्वे में खाता खोला गया है, जिसका प्लॉट नं0-816 है। मौजा बाजकुम के खाता नं0 56 का रकबा-30.00 एकड़ है।

वर्ष 1986 में नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए मेरे पिता के नाम से बंदोबस्त भूमि को नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। बन्दोबस्त भूमि का हस्तांतरण प्रक्रिया के समय मेरे पिता घर पर

नहीं थें। उक्त विद्यालय द्वारा यद्यपि हमारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन आज तक न तो हमलोगों को मुआवजा और न हीं किसी प्रकार का नौकरी प्रदान किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में WP(C) No-1444/2011 लंबित रहने के दौरान दिनांक 27.11.2016 को मेरे पिता की मृत्यु हो गयी। सहानुभूति पूर्वक मेरे दावे पर विचार करते हुए न्यायहित में मुआवजा राशि एवं नौकरी प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया जाय।

अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौजा बाजकुम के खाता संख्या-56 गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल झाड़ी खाते की भूमि है। मौजा बाजकुम के गत सर्वे खाता संख्या- 56 का सम्पूर्ण रकबा- 43.00 एकड़ है उसी में से प्रथम पक्ष के पिता सोहन मिंज को प्लॉट संख्या- 16/B रकबा 2.50 एकड़ भूमि बंदोबस्ती से प्राप्त है। प्रथम पक्ष मूलतः लातेहार जिले के महुआडांड़ अंचल अन्तर्गत ग्राम- चटकपुर के निवासी हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, लातेहार को वर्ष 1986 में भूमि का हस्तांतरण की गई है। भूमि हस्तांतरण के समय हाल सर्वे लागू नहीं था। फलस्वरूप गत सर्वे को आधार मानकर भूमि का हस्तांतरण किया गया था। हस्तांतरण विधिवत् प्रक्रिया के तहत् आम सूचना निर्गत कर किया गया है। निर्गत आम सूचना के विरूद्ध समय सीमा के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया और न हीं मुआवजा के लिए दावा किया गया। वर्ष 1994 में हाल सर्वे प्रकाशन में सोहन मिंज के नाम से खाता खोले जाने के पश्चात् मुआवजा के लिए दावा किया जा रहा है।

अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर पाया कि जवाहर नवोदय विद्यायल, लातेहार की भूमि का विभागीय हस्तांतरण वर्ष 1986 में हुई है। भूमि का हस्तांतरण विधिवत् प्रक्रिया के तहत् आम सूचना निर्गत कर किया गया। निर्गत आम सूचना के विरूद्ध समय-सीमा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा कहा गया है कि बंदोबस्त भूमि का लगान सरकार को लगातार भुगतान किया गया है, जबकि न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार रैयत की जिम्मेवारी है कि नियमित रूप से जमीन का लगान सरकार को भुगतान करें एवं लगान रसीद प्राप्त करें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर स्वामित्व की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक 2906 दिनांक

22.08.2007 के अनुसार भूमिहिन अथवा आवासीय जमीन को मिलाकर 0.50 एकड़ से अधिक नहीं होने पर सैनिकों को भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त विभागीय दिशा-निर्देश के अनुपालन में प्रथम पक्ष के भूमि का सत्यापन आवश्यक है, जो उनके बिना उपस्थिति के संभव नहीं है।

प्रथम पक्ष द्वारा कहा गया है कि भूमि के हस्तांतरण के प्रक्रिया के समय मेरे पिता घर पर नहीं थें। बन्दोबस्त भूमि की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन एवं जोत-कोड़ कर भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि बंदोबस्त भूमि प्रथम पक्ष के कब्जे में नहीं है।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा- 63-B के अनुसार बंदोबस्तधारी भूमि पर पांच साल तक निरन्तर कब्जा में नहीं रहता है तो उपायुक्त द्वारा बन्दोबस्ती को रद्द किया जा सकता है।

जवाहर नवोदय विद्यालय को हस्तांतरित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल झाड़ी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस्म जंगल झाड़ी वाली भूमि को बंदोबस्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के आदेश के अनुपालन के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-
जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

उपायुक्त-सह-
जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2022.07.13 17:23:42 +05:30
Location: 10.93.47.14